

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (1) (एस-885) अलेसे-1/1454

दिनांक:- 29/12/25

आदेश

श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (निलंबित) तत्कालीन कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एन.आर.एच.एम, अलवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही कर गिरफ्तार किये जाने के कारण इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 5092-5098 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा श्री सीताराम को गिरफ्तारी दिनांक 14.11.2024 से निलंबित किया जाकर मुख्यालय, कोषालय, दौसा में किया गया था।

श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलंबित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री सीताराम, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु इस निदेशालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-। (निलंबित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(संध्या शर्मा)
29/12/2025

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (1) (एस-885) अलेसे-1/1454

दिनांक:- 29/12/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, दौसा।
- 2 श्री सीताराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (निलंबित), हाल मुख्यालय, कोषाधिकारी, दौसा।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।

(लखपत मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)